

अजअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोलायत

श्रीमति लाछा देवी

बनाम

मोहनगर आदि

किस्म मुकदमा :- दावा

नं. 14 सन् 2021

अर्न्तगत धारा :- 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इन्वियलराजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-03-2021	यह दावा श्री हंसराज डेलू एडवोकेट ने प्रस्तुत किया। दावा सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस किया जावे। नोटिस जारी हो। पत्रावली आयन्ध दिनांक 22.04.2021 को पेश हो।	
22.4.21	आज वकूलाय ने अदालत कार्य स्थगित कर रखा है मिसल वास्ते..... दिनांक.को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोलायत	
27.5.21	आज वकूलाय ने अदालत कार्य स्थगित कर रखा है . मिसल वास्ते..... दिनांक.को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोलायत	
11.6.21	पत्रावली आज जेरी में श्रीगणेश प्रतिवादी क-5 शपथपत्री की दृष्टि से चुकी है अन्ध पत्रावली वास्ते पुन रिपोर्ट सब रिपोर्ट कर को प्रतिवादी क 5/1 5/2 के दायरे के उन्धोचन करके इसे अन्धोचन पत्र अन्धोचन किया पत्रावली के साथ अन्धोचन प्रत्येक पत्र पर अन्धोचन शपथपत्री की गणेश प्रतिवादी नन्धोचन के अन्ध अन्धोचन पत्र उन्धोचन करके के अन्धोचन पत्र	रिपोर्ट अन्धोचन- 2740 3198 9820

2-बीकार किया गया है प्रतिवारी क-5 यमराजरी
 के जाल बाहियां को प्रतिवारी क 5/1 5/2
 के रूप में स्थापित करने के आदेश दिए जाते हैं
 वही वन्योपकरण बाद शीघ्र प्रस्ताव के
 साथ ही माहाराजरी की आर्ट के हक नजारी
 नसब प्रस्ताव किया कि प्रतिवारी गन 1 ज 4 की
 आर्ट के प्रस्ताव प्रस्ताव के साथ को नजारी नसब
 प्रस्ताव स्थिति के अनुसार जारी व कल्प के
 उपर मुद्रा जारी व प्रतिवारी क 5 दिखाया
 उपरत विषयों गणना के उपरत मुद्रा बाह्यी
 का दिखाया ख-न 158 की खिच धानी परिचय
 व प्रतिवारी क 5 का दिखाया प्रवे दिखा के के
 प्रतिवारीगन 1 ता 4 की आर्ट के प्रस्ताव नजारी
 नसबा की दिव, फ, मुद्रा यमराजरी जारी मान के न
 मरा आगो कर दिया है आदि आदि प्रस्ताव
 पर आर्कि कियत रहे प्रतिवारी क- 5/1 एवं 5/2
 की आर्ट के वन्यालय नामा की योजना दिव
 निर्णय उपरतके के प्रस्ताव किया। निर्वा जो
 आर्कि कियत रहे पञ्चवली उपरत विनस
 15.1.2021 को भारत उपरत शीघ्र प्रस्ताव प्रवे
 प्रे हो एवं विनस, विनसपान की आर्ट के
 प्रस्ताव प्रवेता पर प्रस्ताव किया कि यदि वरु के

12
12

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------	------------------------------------	--

21 अप्रैल को वारंट को रिफर कर लिया
 जाता है तो प्रतिवादी को कोर्ट आनी गयी है
 बाद 11 अप्रैल को अवलोकन किया गया बाद शर्त
 पूरा करने की आवश्यकता नहीं है
 प्रतिवादी को 5 अप्रैल को जमानत की
 हजेरी करा प्रत्येक कोर्ट को प्रत्येक दिनांक
 7.4.2017 को हो चुकी थी। अप्रैल को वारंट
 उसके दो पुत्र रिहापाल व विजय पाल मौर्य हैं
 और आज ही अंततः पत्र प्रेषित किया।
 प्रत्येक पत्र का विरोध हमने समझ प्रेषित नहीं
 हुआ है वरिष्ठ सदस्यी वैयक्त नहीं है उक्त
 वरिष्ठ प्रतिवादी को 5 अप्रैल का नाम बाद पर
 दो कानून पत्र (plea) भिजे जाने का आदेश
 दिया जाता है रिहापाल व विजय पाल को
 मध्य प्रतिवादी को 5/11 व 5/12 के रूप
 में पत्रकार बनाये जाने के आदेश दिए जाने हैं
 लिखित इस आदेश का नोट बाद पत्र के शर्त
 में लगाये। उक्त पत्र के अतिरिक्त के आदेश
 किया कि प्रत्येक में पत्रकारों के मध्य सदस्यी
 हजेरी नहीं करने के आदेश दिखी रिहापाल
 पत्रिका भिजा जाने का आदेश करवाये।

4 ✓

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स राज

अनुच्छेद 2(1) के अन्तर्गत अन्वेषण किया जाता है
वाक्य वाक्यी 2(1) के अन्तर्गत किया जाता है वाक्यी
जबकि कि अनुच्छेद 2(1) के अन्तर्गत अन्वेषण
रूप में किया जाता है। विद्वान विद्वान पृष्ठ
के अन्तर्गत लिखवाया पृष्ठ शामिल किया
कराया गया। वाक्य पत्रवाही के अन्तर्गत अन्वेषण
एवंक जाकर अन्वेषण अन्तर्गत है।

44

उपग्रह अधिकारी
मोलायत जिला-बीकानेर